न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—04 सन् 2018 ए

रामायण प्रसाद राय वो अन्य.....वादीगण।

बनाम

कामेश्वर राय.....प्रतिवादी।

दिनांक— 16.01.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 3 तथा धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 1.09.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के वादी सं0 03 राम नरेश राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 23.06.2020 को अपने जायज वारिसान को छोड़कर हो गई है। वादी सं0 03 की पत्नी पूर्व में ही मर चुकी है। वादी सं0 03 के कानूनी वारिसान उनका पुत्र वो स्व0 पुत्र जय प्रकाश यादव की पत्नी एवं लड़का है जिनका विवरण आवेदन में दिया गया है। न्यायहित में वादी सं0 03 का नाम काटकर उनके जगह पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी सं0 03 का नाम कलमजद कर उनके कानूनी वारिसान को प्रतिस्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु तथा आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 19.12.2022 को दाखिल कर कथन किया है कि जिस तरीके का बयान वादी ने सवाल में दाखिल किया है वह हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी ने वादी सं0 03 की मृत्यु के पश्चात् प्रतिस्थापना आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया है। जिस कारण वाद अबेट कर गया है। ऐसी परिस्थिति में वादी का सवाल स्वीकृत होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी

का सवाल साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 03 राम नरेश राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 23.06.2020 को अपने जायज वारिसान को छोड़कर हो गई है। वादी सं0 03 की पत्नी पूर्व में ही मर चुकी है। वादी सं0 03 के कानूनी वारिसान उनका पुत्र वो स्व0 पुत्र जय प्रकाश यादव की पत्नी एवं लड़का है जिनका विवरण आवेदन में दिया गया है।

वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिस कारण वाद अबेट कर गया हैं। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन को 500/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए एवं उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।